भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2085
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

बंधुआ मजदूर

2085. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश भर में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है
(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे श्रमिकों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की गई है/की जाने वाली है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) अब तक बचाए गए/पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ देश के विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सहायता प्रदान की गई है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए कोई समिति गठित की गई है अथवा किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता हेतु, श्रम और रोजगार मंत्रालय बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत, छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी 1 लाख रुपये, विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बच्चों सहित या वे जो किसी गिरोह या संगठन से छुड़ाए गए और बलात भीख मांगने वाले गिरोह या अन्य प्रकार के बलात बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये और वंचित या सीमांत पर होने के अतिशय मामलों में बंधुआ या बलात श्रम के मामलों में 3 लाख रुपये है। जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को 30,000 रुपये तक की तत्काल नकद सहायता प्रदान किया जाता है।

छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनर्वास सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। छुड़ाए गए और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या का ब्यौरा और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति की गई पुनर्वास राशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(छ): बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार राज्य सरकार जैसा भी उचित समझे प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-प्रभाग में सतर्कता समिति का गठन करती है जो अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देगी। समिति मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होती है।

* ******

अनुबंध

'बंधुआ मजदूर' के संबंध में श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2085 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई राशि (रुपये लाख में)	पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या
2021-22	छत्तीसगढ़	50.00	250
	तमिलनाडु	204.73	1016
	बिहार	58	290
	राजस्थान	10.00	50
2022-23	राजस्थान	14.00	70
	उत्तर प्रदेश	390.20	287
	तमिलनाडु	59.40	297
2023-24	राजस्थान	11.20	56
	तमिलनाडु	56.80	176
	छत्तीसगढ़	15.20	76
	पुदुचेरी	15.00	5
	ओडिशा	15.50	155
